श्री. एल. आर. नाईक (भूतपूर्व सांसद)

<u>पिछडे वर्ग आयोगके सदस्य इनकी असहमती टिप्पणी</u>

मा. राष्ट्रपती महोदयने पिछडे वर्गोंकी सामाजिक और शैक्षणिक समस्याएँ पहचानने का तथा उनके समाधानके लिए सुझाव देनेका आदेश दिया है। मैंने मेरी क्षमता और ज्ञानके अनुसार इस कार्यमें आयोगकी मदद करनेकी पूरी कोशिश की है। इस कार्यमें मुझे सभी सदस्योंकी, खासकर आयोगके अध्यक्ष श्री. बी. पी. मंडलजी का पूरा सहयोग तथा प्रोत्साहन मिला है इसकी मुझे बहुत खुषी है। इसलिए आयोगको पिछडे वर्गोंका वर्गीकरण करने के लिए जो सिफारास की है, उससे असहमती दिखानेवाली मेरी टिप्पणी देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है।

मा. आयोगने अपने प्रतिवेदनके नौवे खंडमें सामायिक सूची दी है और शैक्षणिक दृष्टीसे पिछडे हुए वर्गोंकी पहचान करने के लिए कुछ मानदंड निश्चित किये है। उनमे मैं निम्नलिखित बदलाव सुझाता हूँ।

उपरोक्त सामाजिक सूचीमें दर्ज किये हुए जातीयों/वर्गोंमे संसवितशीलता तो है लेकिन वे सब सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछडेपनके बारेमें एक स्तर पर नही है ऐसी मेरी राय है। मुझे ऐसा डर है की इनकी सुरक्षाके लिए जिन उपायोंकी सिफारिस की है, वह उनतक पहुचेंगेही नही और एक समानतावादी समाज निर्माण करनेका भारतीय संविधानका उद्दिष्ट सिर्फ एक कल्पना रह जाएगी। टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीजके परिवेदन (खंड ४) में कुछ जातीयोंका जिक्र है, जो सामायिक सूचीमें शामील हैं और जिन्होंने अपने स्वयं सामर्थ्यपर या प्रगत वर्ग के साथ लंबे अरसे तक **सहवाटके** सामर्थ्यपर भारतके जाती व्यवस्थामें अपना खुदका एक स्थान निर्माण किया है। ऐसी जातीयोंको हम "पिछडे वर्गोंके मध्यमस्तरीय जातीयाँ" संबोधित करे। यदि ऐसी जातीयोंको भविष्यमें उचित प्रोत्साहन और अवसर प्राप्त कर दिये, तो यह जातीयाँ भारतकी सामान्य जनतामें घुल-मिल जाएंगी इसमें मुझे संदेह नही। लेकिन सामायिक सूचिमें ऐसी कई जातीयॉ हैं जो सामाजिक तथा शैक्षणिक दोनों दृष्टीसे बहुत ही पिछडी हैं और इसकी वजहसें ये नजदीकी भविष्यमें भारतकी सामान्य जनतामें घुल-मिल नही जाएंगी। उनका आर्थिक पिछडापन सामाजिक और

शैक्षणिक पिछडेपनकी वजहसे हुआ है। इन जातीयोंको हम "दबे हुए पिछडे वर्ग" ऐसा संबोधित करेंगे। यह जातीयाँ पिछडे वर्गोंकी मध्यमस्तरीय जातीयोंसे अलग हैं। ऐसे दबे हुए पिछडे वर्गोंकी उन्नतीके लिऐ तथा उन्हें और ज्ञान देने के लिए राष्ट्रीय स्तरपर बहुत प्रयास करने पडेंगे और वह चतुराईसे करने पडेंगे क्योंकी यह जातीयाँ आत्यंतिक पिछडेपनमें बुरी तरहसे फँसी है। इन प्रयासोंके लाभ उनतक बडे पैमानेमें पहुँचने चाहिए इसलिए उन्हें मुख्य सामायिक सूचीसे अलग करके उनका एक अलग गुट करना चाहिए जिससे सुरक्षा उपायोंके लाभोंके लिए असमान वर्गोंमें प्रतियोगिता नही होगी और ज्यादातर समान वर्गोंमें या समान वर्गोंमे प्रतियोगिता होगी। इसलिए सामायिक सूचीमें सम्मिलीत अन्य जातीयोंको चाहिए की वे अपना अलग गुट तैयार करे। यह राष्ट्रीय हित के लिए भी आवश्यक है।

मेरी रायमें जिन जन-जातीयोंका व्यवसाय निम्नलिखित है वह "पिछडे हुए वर्गोंमेसे निम्नस्तरीय जाती" इस वर्गमें आते है:- खेती, बागोंके उत्पादक विपणन, बिडेके पत्र उगाना, पशुचारक, कारागीर, ग्रामउद्योगमें काम करनेवाले, दर्जी, रंगारी, बुनकर, **फुटकट** व्यापारी, घोषणा करनेवाले, मंदिरमें काम करनेवाले, ताडी बेचना, तेल बेचना, लडाई करना, ज्योतिष बताना आदि। ये सब लोग लंबे अरसेसे उच्च जातीयोंके लोगोंके साथ घुल-मिलकर रह रहे हैं। इसलिए उन्हें उनके साथ सम्मिलित होनेका अवसर मिला। किन्तु दबे हुए पिछडे जातीयोंके लोगोंको यह अवसर नही मिला क्योंकी उनपर उनके व्यवसायकी वजहसे तथा वे विमुक्त और भटकनेवाले जातीयोंके लोग थे और इस वजहसे उनका सामाजिक स्तर बहुत ही नीचा हो गया। जिन जनजातीयोंका व्यवसाय निम्नलिखित है वह इस दबे हुए पिछडे वर्गोंमें आते है :- जो पहले गुनाह करते थे, भटकनेवाले, विमुक्त जातीके लोग, मिट्टी की खुदाई करनेवाले, मछुए, धविर, नाविक, केवट, गडेरिया, नाई, झाडूवाले, टोकरी बनानेवाले, **लामेचर्म** व्यापारी, चर्म संशोधनकार, भूमीहीन खेती मजदूर, पानी ढोनेवाले, ताडी निकालने वाले, उँटवाले, सुअर पालने वाले, बैलोंकी गाडी चलानेवाले, जंगलका उत्पाद इकठ्ठा करनेवाले, शिकारी, शिकारके समय चिल्लानेवाले, अनाज भुनानेवाले, आदीम जनजातीयाँ जो अनुसूचित जनजातीयोंमें शामिल नहीं है, बाहरकी जातीयाँ जो

अनुसूचित जातीयोंमे शामिल नहीं है, भीख माँगनेवाले आदि। इन नामोंसे उनके सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछडेपनको समझा जा सकता है। संविधान के रचयिताओंने इन्हे अनुसूचित जातीयों और अनुसूचित जनजातीयोंमें सम्मिलीत करना आवश्यक था। यह बात स्वयं सिद्ध है और उसके लिए सबूतकी आवश्यकता नहीं है। संविधानके रचयितोंकी इस गलतीसे भारतमें सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्यायपर आधारित समतावादी समाज रचना तैयार होनेमें गंभीर बाधाएँ पैदा हो गयी है ऐसी मेरी राय है। आझादीके ६० बरसोबाद भी जनताके इस बदनसीब विभागोंको अभीतक आजादी के लाभ नहीं मिलें। इसके बजाय उन्हे बदनसीबीके सामने घुटने टेकना पडता है। भारतके संविधानमें तीन महत्वपूर्ण बातें आझादी, समता और बंधुत्व हैं। यह बदनसीब लोग उनसे वंचित हैं। कुछ राज्योंने जनजातीयोंको जो वर्गीकरण किया है (सब राज्योंने नही), उससे यह कह सकते हैं कि इनमेंसे ज्यादातर जनजातीयाँ अनुसूचित जातीयाँ और अनुसूचित जनजातीयोंमेंसे है।

मैने मेरे देशकी सफर की है और मैने ऐसा देखा की जिस तरहसे उच्च जातीयोंने पिछडे हुए जातीयोंमेसे मध्यमस्तर जातीयोंको पीडा दी है, उसी तरह यह मध्यमस्तर जातीयाँ दुर्बल और दबे हुए दलित वर्गोंको पीडा दे रहे हैं। हमारा समाज असमानता और विषमतासे भरा हुआ है। उसमें ज्यादा असहाय व गरीब लोगोंको लाभोंसे वंचित रहना न पडें और उन्हे घातक प्रतियोगिता करनी न पडें इसके लिए आयोगने उचित कदम उठाने चाहिए। हमारे समाजमें जातीयवाद अभी भी मौजूद है और वह कम नही हुआ है बल्कि अलग अलग रुपमें अपना अस्तित्व दिखा रहा है। बहुत अभ्यासकोंको ऐसा लगता है की लोकतांत्रिक राजनीती और जनतामें बडे पैमानेपर बन रही गतीशीलता इनकी वजहसे जातीयता को महत्व प्राप्त हो रहा है। पिछडे हुए वर्गोंमें जो मध्यस्तरीय जातीयाँ है उनके नेता भी इससे दूर नही है। उन्होंने ऐसा कोई भी नया विचार नही किया या नयी कृती नहीं की जिससे दबे हुए पिछडे दलित वर्गोंकी उन्नती हो जाए। समाज के जिस वर्गसे यह भेदभाव निर्माण हुआ है, चाहे वो पिछडा हुआ वर्ग हो या पिछडे वर्गोंमें जो मध्यस्तरीय वर्ग है वह हा, उसकी निंदा और विरोध करना चाहिए। "बडी मछली छोटी मछली को खा जाती है" यह

कहावत भारतीय समाजके जातीय व्यवस्थाको प्रयोक्त है। इसलिए सुरक्षाके सब तरीके और उसके लाभ समाजके सब वर्गोंको समान तरीकेसे और विवेकपूर्ण पद्धतीसे बाँटना चाहिए। इसलिए असमान गुटोंमें प्रतियोगिता टालना और समान गुटोंमें प्रतियोगिताको प्रोत्साहन देना इन दो तरीकोंसे यह किया जा सकता है। इसलिए मैं यह सुझाव करता हूँ की, सामायिक सूची दो भागोंमे बाटी जाएँ "अ" विभागमें दबे हुए पिछडे वर्ग जातीयाँ समाविष्ट होंगे और "ब" विभागमें "पिछडे हुए जातीयोंके मध्यस्तरीय जातीयाँ" समाविष्ट होंगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशोंमें जो "दबे हुए पिछडे वर्गकी जातीयॉ है, उनकी तालीका सूची-२ में दी है।

आरक्षण कितना होना चाहिए :-

इस प्रतिवेदनके मुख्य खंडमें भारतकी जनताका जाती और धर्मके अनुसार प्रतिशत संख्या दर्शायी गयी है। अहिंदू जातीयोंको सम्मिलीत करके पिछडे वर्गकी संख्या ५२% है। हिंदू जातीयोंमेंसे पिछडे वर्गकी संख्या ४३.७०% है। यदि अन्य पिछडे हुए वर्गोंका उपवर्गीकरण "दबे हुए दलित वर्ग" और पिछडे हुए वर्गोंमेंसे मध्यस्तरीय जातीयाँ इसमे किया तो उनकी प्रतिशत कितना होगा यह सूची-१ में दिया है। इससे यह दिखाई देता है की, "दबे हुए दलित वर्गोंकी" जनसंख्या २५.५६% है और "पिछडे हुए वर्गोंमें जो मध्यस्तरीय जातीयाँ है उनकी जनसंख्या २६.४४% है। इसका अर्थ यह है की दोनो समसमान हैं। बहुत बहस के बाद आयोगने केंद्र सरकार को सब सेवाओंमें २७% की सिफारस की है। मैं इससे पूरी तरहसे सहमत हूँ। आयोगने ऐसी भी सिफारस की है की, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारने चलायी हुई वैज्ञानिक, तांत्रिक और व्यावसायिक संस्थाओंमे भी २७% आरक्षण किया जाए।

दबे हुए पिछडे वर्ग और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजातीयोंके मध्यस्तर जातीयॉ इनकी पिछडेपन के संदर्भमें तुलना हो सकती है। मै न्यायोचित दृष्टीसे ऐसी सिफारिस करता हूँ की आयोगने सिफारीस किए हुए २७% आरक्षणमेंसे १५% आरक्षण दबे हुए पिछडे वर्गोंको दिया जाए। उन्हें अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजातीयोंके लाभ मिलने चाहिए। मै राजनैतिक आरक्षणकी सिफारिस नहीं कर रहा हूँ किन्तु मैं उन्हें यह आवाहन करते हैं की उन्हें एक होना चाहिए

और खुद का संगठन निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वारा वह अपनी सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक बदनामी और अप्रतिष्ठा समाप्त कर सकते है। कुछ असंतुष्ट उच्चवर्गीय जातीयाँ दलितोंके नामपर आर्थिक और सामाजिक सत्ता ऐंठ रहे है और उपरोक्त नेता उनका अनुकरण कर रहे हैं। वे किसीकी भी नफरत न करे और सबसे प्रेमसे घुल-मिलकर रहें। मैं भारतके राज्यकर्ताओंको चेतावनी देता हूँ कि जबतक दलित वर्गोंकी और उनकी बराबरी नहीं होती, तबतक समतावादी समाजका गठन नहीं होगा, इसलिए वह पिछडे हुए वर्गोंके लिए किये हुए आरक्षणके खिलाफ कोई आंदोलन न करें। यदी उन्होंने आंदोलन किया, तो उनकी और देशकी हानी होगी।

आभार प्रकटन :-

श्री. बी.पी. मंडल, आयोगके अध्यक्ष, इन्होंने मुझे इस आयोगका सदस्य नियुक्त किया इसकी मुझे कद्र है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और मुझसे स्नेहपूर्ण बर्ताव किया इसका मैं नित्य स्मरण करुँगा। उसी तरह आयोगके अन्य सदस्योंनेभी मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ।

डॉ. एल. भीमप्पा, शल्यक्रियाके प्राध्यापक, बंगलोर मेडीकल कॉलेज, बंगलोर इन्होंने भारतके दलित वर्गके लोगोंको ढूँढनेमें और उनकी संख्या जाननेमें बहुत मदद की है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। दलितोंके प्रश्न जाननेमें वे बहुत कुशल हैं और उन्होंने आयोग को जो सलाह दी है उसके लिए उनकी कद्र करनी चाहिए।

आयोगपर सब राज्य और केंद्रशासित प्रदेशोंसे चुने हुए सदस्योंने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।

एल. आर. नाईक